

उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा अनुभाग-3

संख्या-243/2016/4188/चि0-3-16-1600/2016

लखनऊ : दिनांक : 27 दिसम्बर, 2016

कार्यालय जाप

शासन के कार्यालय जाप संख्या-यू0ओ0-90/पांच-8-2013-जी0-155/2013 टी0सी0, दिनांक 01-05-2013 द्वारा प्रान्तीय चिकित्सा सेवा संवर्ग के चिकित्साधिकारी डा0 लालमणि, परामर्शदाता, (वरि0क्र0-12065क, ले0-2), जिला महिला चिकित्सालय, आजमगढ़ को आचार्य, ऑब्स एण्ड गायनी के पद पर राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़ में सेवा स्थानान्तरण के आधार तैनात किया गया था। सम्यक् विचारोपरान्त प्रशासनिक आधार पर डा0 लालमणि के सेवा स्थानान्तरण को निरस्त करते हुए उन्हें जिला संयुक्त चिकित्सालय, सोनभद्र में स्त्री रोग विशेषज्ञ के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

2- डा0 लालमणि को निर्देशित किया जाता है कि वह तत्काल अपने नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराये।

डा0 नीरज शुक्ला

विशेष सचिव

संख्या-243/2016/4188(1)/चि0-3-16, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महानिदेशक/निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़।
5. अपर निदेशक (कार्मिक/गोपन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़/मिर्जापुर मण्डल, मिर्जापुर।
7. मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय, आजमगढ़।
8. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला संयुक्त चिकित्सालय, सोनभद्र।
9. वरिष्ठ कोषाधिकारी, आजमगढ़/सोनभद्र।
10. सम्बन्धित चिकित्साधिकारी (द्वारा-प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय, आजमगढ़।
11. निजी सचिव, मा0 मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश।
12. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।
13. प्रभारी कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने के साथ-साथ सम्बन्धित चिकित्सक का पी-2 संशोधित करने का कष्ट करें।
14. चिकित्सा अनुभाग-2/8/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,



(जे0 एल0 यादव )

अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साईट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।